भारत सरकार
पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: rocz.lko-mef@gov.in, goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू0पी0/06/102/2019/एफ0सी0/959 दिनॉक : 12.10.2020

सेवा में,
मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी,
17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश।

Online Proposal No. FP/UP/Road/39999/2019

विषयः गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा गंगा कैनाल मील 106.775 से 107 तक क्षेत्रफल 0.144 हे0 एवं बाधक 14 वृक्षों के पातन एवं जनपद हापुड़ के अन्तर्गत अपर गंगा कैनाल मील 107 से 107.984 तक सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, हेतु लिंक मार्ग के निर्माण हेतु 0.6716 हे0 एवं बाधक 91 वृक्षों के पातन कुल 0.8156 हे0 संरक्षित वनभूमि के हस्तान्तरण एवं कुल बाधक 105 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भः मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक–760/11–सी–FP/UP/Road/39999/2019, दिनांक–05.10.2020.

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी है। प्रकरण में विचारोपरान्त इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 07.01.2020 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर चाही गई सूचनाऍं आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है। सूचनाओं पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के प्रस्तर 2.5 (i(d) के अनुसार संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु आप द्वारा प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना मान्य नहीं है, अतः आपसे अनुरोध है कि गैर वनभूमि पर संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना एवं भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

भवदीया,
12/10/2020
(प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन, अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, उ0प्र0।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, हापुड़ एवं गाजियाबाद।
4. अधिशासी अभियंता, जोन–5, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।
5. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक–886/11सी–FP/UP/Road/39999/2019, दिनांक, लखनऊ, अक्टूबर 15, 2020

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, हापुड़ एवं गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता, जोन–5, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ

Lt. ST Page No.807